



[2026:RJ-JD:14290]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2731/2026

Poonam Chand Urf Piyush Bhati Urf Pawan Urf Prince S/o Jagdish Nayak, Aged About 30 Years, R/o Kolu Pabuji, Police Station Lohawat, District Jodhpur And Bherva Bhakar, Bheel Basti, Kabir Nagar Police Station Soorsagar, District Jodhpur Presently Residing at Rent House Mochi Basti, Behind Police Station Pratapnagar Sadar, Jodhpur (Presently Lodged in Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Abhimanyu Singh, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. GA

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना बोरानाड़ा, जोधपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 305(a), 331(4) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, वह दिनांक 07.02.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।



विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध तथा उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादी का चोरी हुआ माल सहअभियुक्तगण दुर्गेश उर्फ दुर्गाराम, अर्जुन भील व दुर्गाराम उर्फ भोमाराम से प्राप्त कर अन्य सहअभियुक्त सोनू सोनी के साथ मिलकर सोने को गलाकर बेचान करने के अपराध का आरोप है। वह दिनांक 07.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, तथापि Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIR ONLINE 2020 SC 96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार केवल मात्र पूर्व में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत से रिहा किये जाने पर इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **पूनमचंद उर्फ पियुष भाटी उर्फ पवन उर्फ प्रिंस पुत्र जगदीश नायक** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का



व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निम्न शर्तों के अधीन हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे:—

प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण का विचारण पूर्ण होने तक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इसमें चूक करने पर संबंधित थानाधिकारी अविलम्ब संबंधित न्यायालय को सूचित करें।

प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है, तो अभियोजन पक्ष प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदत्त जमानत सुविधा निरस्त करवाने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश की पालना हेतु इस आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने को अविलम्ब भिजवायी जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J